

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि० / सम्प० / 2025-1452

दिनांक: 17-मार्च, 2025

अल्पकालिक निविदा आमत्रण सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के चिन्हित गाटा सं० 751 के भूमि पर लगे 15 वृक्षों (बाटलब्रश, केसिया सेमिया, बालमखीरा, जकरेण्डा, अशोक, गोल्डमोहर एवं अकेशिया) की नीलामी विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय के कमेटी हाल में दिनांक-22.03.2025 को अपराह्न 1.00 बजे बोली लगायी जानी है।


नीलामी की शर्तें निम्नवत् हैं।

1. वृक्षों की नीलामी लेने वाले पात्र प्रतिभागी/ठेकेदार को वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित वर्ष 2000) की धारा-4/10 एवं अभिवाहन नियमावली-1978 की धारा 3/28 के प्राविधानों के अनुसार पातन अनुज्ञा हेतु निर्धारित शुल्क रू०100 प्रति वृक्ष की दर से पातन अनुज्ञा शुल्क एवं रू०76 प्रति टन की दर से अभिवाहन शुल्क रू०75 घन रजिस्ट्रेशन शुल्क वन विभाग में जमा करने के उपरान्त ही नियमानुसार वृक्ष पातन सम्बन्धी कार्यादेश प्रदान करने के उपरान्त ही पेड़ों की कटाया जा सकेगा। उसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य कर होगा तो उसके क्रेता द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रतिभागी/ठेकेदार का अपना आधार एवं पैन कार्ड साथ में लाना आवश्यक होगा। किसी भी कार्य दिवस में चिन्हित पेड़ों का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. उच्चतम बोली दाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत समाप्त होने के बाद तुरन्त जमा करनी होगी, शेष धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करके 10 दिवस के अन्दर पेड़ों को हटाना होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० विभाग को इस आशय से प्रेषित कि अति अल्पकालिक निविदा सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. विश्वविद्यालय सूचना पट्ट।


कुलसचिव